न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी:– श्री राजेश कुमार चान्दोलिया आर.ए.एस.

अपील संख्या:– 152/2023 (GCMS No. 2023/160) (धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. सहीदा पत्नी नेकमौहम्मद जाति सक्का निस्ती निवासी कृषि उपज मण्डी कामॉ तहसील कामॉ जिला भरतपुर।

.....अपीलांट

बनाम

1. मोहनसिंह
2. जगदीश
3. भगवानसिंह

पिसरान दुर्गाप्रसाद जाति अहीर निवासी दीवान मौहल्ला कस्वा कामॉ तहसील कामॉ जिला भरतपुर।

.....प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्टान

4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कामॉ जिला भरतपुर।

.....अप्राथी/रेस्पोडेंटस

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर. एक्ट विरूद्ध आदेश दिनांक 19.06.2019 न्यायालय उपजिला कलक्टर कामॉ बावत् प्रकरण संख्या 85/2018 उनवान मोहनसिंह बनाम सरकार।

उपस्थितिः–

1. अपीलांट की ओर से श्री पंकज कुमार वकील।
2. रेस्पोडेन्ट सं. 1 लगा. 3 की ओर से श्री मुबीम खान, वकील

नि र्ण य **दिनांक : 07.08.2024**

1. यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी कामॉके आदेश दिनांक 19.06.2019 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट ने खसरा नम्बर 4261/0.44 हैक्टे. हाल नम्बर 2630 वाके ग्राम कस्वा कामॉ नम्बर 2 के संबंध में एक प्रार्थना पत्र नक्शा दुरूस्ती बावत् अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया। अपीलांट का खसरा नम्बर 2631 प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट की खातेदारी से लगता हुआ है। तहसीलदार कामॉ ने रिपोर्ट

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

मगाकर आदेश दिनांक 19.06.2019 नक्शा दुरूस्थ करने का आदेश पारित कर दिया जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।

2. अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंटस को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेंट सं. 1 लगायत 3 की ओर से श्री मुबीन खान एडवोकेट हाजिर अदालत आये।

3. उभयपक्ष को अपील पर सुना गया।

4. दौराने बहस अपीलांट द्वारा अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुये सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. पर कथन किया कि आदेश दिनांक 19.06.2019 एकतरफ में पारित किया गया है जिसकी कोई जानकारी प्रार्थीया को नहीं थी। दिनांक 25.11.2021 को अप्रार्थीगण द्वारा धमकी देने पर प्रार्थीया को आदेश की जानकारी हुई। इस पर प्रार्थीया नकल दिनांक 26.11.2021 को आवेदन किया। नकल दिनांक 26.11.2021 को मिलने पर अपील अन्दर मियाद पेश की जा रही है। समर्थन में प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र संलग्न है।अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। प्रार्थीया को आदेश दिनांक 19.06.2019 से प्रभावित पक्षकार है। इस आदेश के कारण प्रार्थीया की खातेदारी का खसरा नम्बर 2631 का रकवा कम हो गया हो जाता है जिस कारण प्रार्थीया को आदेश दिनांक 19.06.2019 को अपील करना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जावे।

5. प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट ने खसरा नम्बर 4261/0.44 हैक्टे. हाल नम्बर 2630 वाके ग्राम कस्वा कामॉ नम्बर 2 के संबंध में एक प्रार्थना पत्र नक्शा दुरूस्ती बावत् अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया। अपीलांट का खसरा नम्बर 2631 प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट की खातेदारी से लगता हुआ है। तहसीलदार कामॉ ने रिपोर्ट मंगाकर आदेश दिनांक 19.06.2019 नक्शा दुरूस्थ करने का आदेश पारित कर दिया अधीनस्थ न्यायालय ने आज्ञा देने से पूर्व साबिक एवं हाल नक्शा का अवलोकन नहीं किया। साबिक नक्शे में रेस्पोडेन्ट के खातेदारों के साबिक खसरा नम्बर 4261 व सडक के मध्य अपीलांट की खातेदारी का साबिक नम्बर 2638 व रेस्पोडेन्ट का खसरा नम्बर 2630 के मध्य अपीलांट के खातेदारी के खसरा नम्बर का हटा दिया। दिशाओं में परिवर्तन करने के कारण दुरूस्ती से प्रभावित हैं। इस कारण हाल नक्शे में परिवर्तन हो गया व गठ्ठों में परिवर्तन हो गया। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश अनुसार यदि नक्शे में संशोधन किया जाता है तो अपीलांट की खातेदारी का खसरा नम्बर 2631 का रकवा कम हो जाता है। साबिक का बिना विवेचन किये ही आदेश पारित कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

मौका देना चाहिए था। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर आदेश दिनांक 19.06.2019 को निरस्त फरमाया जावे।

6. विद्वान अभिभाषक रेस्पो. ने दौराने बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा दी गई दलीलों का खण्डन करते हुए तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही है। दस्तावेज का निरीक्षण कर लें। अपीलांट की अपील खारिज की जावे।

7. प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम, अपील एवं प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. का अवलोकन किया व मनन किया। अपीलांट द्वारा दिये गये तर्कों को नजरअंदाज किया जाना उचित नहीं है। उन्होंने अपने प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया। अपीलांट द्वारा विलम्ब के बिन्दु पर कथन किया है कि आदेश दिनांक 19.06.2019 एकतरफ में पारित किया गया है जिसकी कोई जानकारी प्रार्थीया को नहीं थी। दिनांक 25.11.2021 को अप्रार्थीगण द्वारा धमकी देने पर प्रार्थीया को आदेश की जानकारी हुई। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपीलांटस का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है और विलम्ब अवधि को माफ किया जाकर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाता है। धारा 96 सी.पी.सी. पर कथन किया कि आदेश दिनांक 19.06.2019 से प्रभावित पक्षकार है तथा इस आदेश से उनका रकवा कम हो जायेगा। अतः न्यायहित में प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है। तथा अपील की अनुमति दी जाती है।

8. हमने अपील का अवलोकन किया। वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा नक्शा के अनुसार खसरा नम्बर 2631 के खसरा नम्बर 2630 से लगता हुआ है। दोनों खसरा नम्बर आपस में सटे हुये हैं। तहसीलदार कामां द्वारा उपखण्ड अधिकारी कामां को प्रेषित रिपोर्ट दिनांक 18.02.2019 में वर्णित किया है कि नवीन खसरे के अनुसार मौके पर विवाद उत्पन्न होना संभावित बताया है। अपील में प्रश्नगत खसरा नम्बर का साबिक एवं हाल रकवा का जमाबंदी में वर्णित रकवा तथा नक्शे की लम्बाई, चौडाई का विश्लेषण किये बिना प्रभावित पक्षकार को सुने बिना ही आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को सुना नहीं गया और न सुनवाई का अवसर दिया गया। बिना सुने आदेश पारित किया गया है। प्राकृतिक न्याय का सिद्वांत है कि प्रभावित पक्षकार को सुनवाई का अवसर प्रदान करना चाहिए। अधीनस्थ न्यायालय को सभी पक्षों को सुना जाकर अपना निर्णय पारित किया जाना चाहिए था। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

9. फलस्वरूप अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कामां को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में दोनों पक्षों को विधिवत सुनवाई का अवसर प्रदान कर राजस्व अभिलेखों को विस्तृत विवेचन करते हुये पुनः गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

10. निर्णय आज दिनांक 07.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

7/8/24

(ब्रजेश कुमार चान्दोलिया)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर